

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

प्रेस नोट

जिला बारां, कोटा, करौली एवं श्रीगंगानगर में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव, 2021 – कार्यक्रम की घोषणा

अनुच्छेद 243K (Article 243K) एवं पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 17(2) में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली की तैयारी का एवं निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित किया गया है।

आयोग द्वारा 29 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव संपन्न कराए जा चुके हैं। आम चुनाव से शेष रहे 4 जिलों (बारां, करौली, कोटा एवं श्रीगंगानगर) में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव कराने हेतु निर्वाचक नामावली अर्हता तिथि 01.01.2021 के सदर्थ में तैयार है।

उक्त 4 जिलों में से बारां, कोटा एवं करौली में नगरपालिका गठन से प्रभावित ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन एवं परिसीमन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना दिनांक 02.07.2021 को डी. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 7930/2021 एवं अन्य 4 समान याचिकाओं से माननीय उच्च न्यायालय में चुनौति दी गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिकाओं में दिनांक 28.07.2021 को जारी आदेश से राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर स्थगन प्रदान कर दिया गया। इस प्रकार ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन एवं परिसीमन की अधिसूचना दिनांक 02.07.2021 पर स्थगन प्रदान किए जाने से इन जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र भी प्रभावित होने से राज्य सरकार द्वारा प्रभावित निर्वाचन क्षेत्र/ग्राम पंचायतों के परिसीमन/पुनर्गठन किए जाने के कारण उक्त तीनों जिलों में आम चुनाव लम्बित चल रहे थे, किन्तु राज्य सरकार द्वारा संशोधित अधिसूचना क्रमांक 857 दिनांक 05.10.2021 जारी किए जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन उक्त डी. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 7930/2021 को माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 28.10.2021 से निस्तारित करते हुए प्रकरण में प्रदान किए गए स्थगन को भी समाप्त (Vacate) कर दिया गया है। अतः उक्त तीनों जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव कराए जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया।

इसके अतिरिक्त श्रीगंगानगर जिले में नवगठित नगरपालिका लालगढ जाटान से सैनिक छावनी क्षेत्र में सम्मिलित चार ग्रामो (10 एलएलजी, 19 एसडीएस, 21 एसडीएस व 7 एलएलजी के ब्लॉक संख्या 194, 119, 116 व 220) को नगरपालिका क्षेत्र से पृथक कर पंचायतीराज संस्थाओं में सम्मिलित किया जाने से इन्हें पंचायतीराज संस्थाओं में सम्मिलित करने के लिए ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन एवं जिला परिषद तथा पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः निर्धारण तथा पदों के पुनः आरक्षण की कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन होने से श्रीगंगानगर जिले में भी जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव भी लम्बित चल रहे थे। राज्य सरकार के पत्रांक 905 दिनांक 29.10.2021 के द्वारा अवगत कराया गया है कि पंचायत समिति सादुलशहर की प्रभावित ग्राम पंचायतों के वार्डों का पुनर्गठन का कार्य पूर्ण हो गया है। अतः श्रीगंगानगर जिले में भी जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव कराए जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया।

उक्त चारों जिलों में चुनाव कराए जाने का मार्ग प्रशस्त होने के बाद आयोग द्वारा चुनाव इन जिलों में आम चुनाव कराए जाने हेतु जिला बारां, कोटा एवं करौली में भ्रमण कर एवं श्रीगंगानगर जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा की गई। समीक्षा के उपरान्त आयोग द्वारा जिला बारां, करौली, कोटा एवं श्रीगंगानगर के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। ये आम चुनाव तीन चरणों में कराए जाएंगे। आम चुनाव से संबंधित विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं:-

● चुनाव कार्यक्रम

चरणवार चुनाव कार्यक्रम परिशिष्ट "अ" एवं चरणवार पंचायत समितियां का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। आयोग द्वारा जारी उक्त चुनाव कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट <http://sec.rajasthan.gov.in/> पर भी उपलब्ध है।

● मतदाता सूची

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव हेतु इन चार जिलों (श्रीगंगानगर जिले की पंचायत समिति सादुलशहर की ग्राम पंचायत धर्मसिंहवाला, पन्नीवाली एवं रोटावाली को छोड़कर) के लिए तैयार की गई मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 19.04.2021 को हो चुका है। श्रीगंगानगर जिले की उक्त तीन ग्राम पंचायत धर्मसिंहवाला, पन्नीवाली एवं रोटावाली के लिए निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन दिनांक 26.11.2021 को होना है। मतदाता सूची पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय में निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। ये मतदाता सूचियां अर्हता तिथि दिनांक 01.01.2021 के संदर्भ में तैयार की हुई हैं।

जिला बारां, कोटा, करौली एवं श्रीगंगानगर में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव के लिए तैयार की गई अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली (श्रीगंगानगर जिले की पंचायत समिति सादुलशहर की ग्राम पंचायत धर्मसिंहवाला, पन्नीवाली एवं रोटावाली को छोड़कर) में कुल 32 लाख 42 हजार 7 सौ 73 मतदाता पंजीकृत हैं। श्रीगंगानगर जिले की उक्त तीन ग्राम पंचायतों के लिए प्रारूप प्रकाशित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 10 हजार 01 सौ 52 हैं। इस प्रकार उक्त तीनों जिलों में कुल मतदाताओं की कुल संख्या 32 लाख 52 हजार 09 सौ 25 है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

पुरुष	महिला	थर्ड जेण्डर	कुल
1715945	1536955	25	3252925

मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के दौरान जो मतदाता अपना नाम किन्हीं कारणों से नामावली में नहीं जुड़वा सके या तत्समय मतदाता सूचियों में रही त्रुटियों को दुरुस्त करने के लिए निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उन्हें निरन्तर अद्यतन किए जाने का कार्य जारी है।

● वार्डों एवं मतदान केन्द्रों का विवरण

इन जिलों के लिए आज घोषित किए गए चुनाव में 106 जिला परिषद सदस्य, 568 पंचायत समिति सदस्य, 4 जिला प्रमुख एवं 4 उप जिला प्रमुख तथा 30 प्रधान एवं 30 उप प्रधानों के लिए आम चुनाव होना है।

उक्त निर्वाचनों के लिए तैयार की गई निर्वाचक नामावली में आयोग द्वारा कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक मतदान बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1000 रखी गई है, किन्तु निर्वाचक नामावली के निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया में कुछ मतदान केन्द्रों पर उक्त संख्या में वृद्धि हुई है, जिसे 1100 तक सीमित रखा जाकर इससे अधिक मतदाता होने पर सहायक मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इन आम चुनाव हेतु उक्त चारों जिलों की 973 ग्राम पंचायतों में कुल 4161 मतदान बूथ स्थापित किए जायेंगे।

● ई.वी.एम. से मतदान

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का उपयोग किया जाएगा। आयोग द्वारा बारां, कोटा, करौली एवं श्रीगंगानगर जिलों को इन आम चुनावों हेतु ईवीएम उपलब्ध करा दी गई हैं एवं आम चुनाव में उपयोग में आने वाली ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच भी हो चुकी है।

दिना. 24/11/2021

- **मतदान का समय**

मतदान का समय प्रातः 7.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक नियत किया गया है।

- **चुनाव कार्य हेतु कार्मिकों का नियोजन एवं प्रशिक्षण**

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन संपादित कराने हेतु मतदान, मतगणना एवं अन्य कार्य के लिए समस्त चरणों के लिए लगभग 40 हजार कार्मिकों की आवश्यकता होगी। मतदान एवं मतगणना दलों के गठन हेतु कार्मिकों का रेण्डमाईजेशन (Randomization) सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर मतदान एवं मतगणना हेतु दलों का गठन किया जाएगा।

- **मतदाताओं की पहचान**

राजस्थान राज्य के लगभग सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) जारी हो चुके हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी उक्त फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर भी यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस, आयकर पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन ओदश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटो युक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक शामिल है।

उक्त 12 वैकल्पिक फोटो दस्तावेज में से केवल वे ही दस्तावेज मान्य होंगे जो इन निर्वाचन की घोषणा से पूर्व के हैं। अतः सभी मतदाताओं से अपील है कि मतदान के समय उक्त दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को साथ लायें, जिससे मतदान कार्य सुगमता से शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्षरूप से सम्पन्न हो सके।

- **मतदाता सहायता**

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली में मतदाता से संबंधित प्रविष्टि यथा मतदाता का नाम, वार्ड नम्बर, मतदाता क्रमांक एवं मतदान बूथ आदि की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए SMS Gateway Service उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए मतदाता द्वारा मोबाईल नम्बर 7065051222 पर SEC VOTER अंकित कर स्पेस के पश्चात् Epic No अंकित कर SMS भेजने पर SMS के माध्यम से उसकी प्रविष्टि का विवरण प्राप्त हो जायेगा।

- **चुनाव प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।**

- **अभ्यर्थियों के लिए चुनाव खर्च सीमा**

चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव के दौरान वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग, कट आउटों, होर्डिंग्स, पोस्टर एवं बैनरों के प्रदर्शन व इनसे संबंधित अन्य गतिविधियों को नियन्त्रण करने के लिए आयोग के आदेश दिनांक 02 दिसम्बर, 2019 द्वारा प्रतिबंध अधिरोपित किए गए हैं। इस आदेश के अनुसार जिला परिषद सदस्य के चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों के लिए 1,50,000/- एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए 75,000/- रुपये की खर्च सीमा निर्धारित की हुई है।

24.11.2021

लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों के द्वारा निर्वाचन में प्रचार के लिए वाहनों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। इस हेतु संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से वाहन के सम्पूर्ण विवरण के साथ लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए किए जाने वाले खर्च की निगरानी हेतु संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के स्तर पर एक प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जो अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए किए जाने वाले खर्च की सतत निगरानी रखेगा।

● **दिव्यांगजन (Person with Disabilities) मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा**

आयोग द्वारा दिव्यांगजन के लिए मतदान केन्द्र पर विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए अपने आदेश दिनांक 24.12.2019 द्वारा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए गए हैं। दिव्यांगजन मतदाताओं की सहायता के लिए प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त करने, मतदान बूथ पर स्काउट गाईड एवं ट्राई साईकिल उपलब्ध कराने के निर्देश भी प्रदान किए गए हैं।

● **चुनाव नियन्त्रण कक्ष (Control Room) की स्थापना**

आयोग मुख्यालय एवं जिला स्तर पर चुनाव कार्य से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं आमजन द्वारा भी चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि के बारे में जानकारी प्रदान करने एवं प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए चुनाव नियन्त्रण कक्ष स्थापित किए जाता है। आयोग कार्यालय में नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी गई है। आयोग कार्यालय में स्थापित यह नियन्त्रण कक्ष प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक कार्यशील रहेगा। आयोग कार्यालय के नियंत्रण कक्ष में स्थापित दूरभाषों का विवरण निम्नानुसार है:-

1.	0141-2227420
2.	0141-2227419

● **कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु गाईडलाईन**

आयोग द्वारा चुनाव के दौरान विभिन्न गतिविधियों यथा ईवीएम की FLC, मतदान दलों के प्रशिक्षण, नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतिकरण, सवीक्षा एवं नाम वापसी, चुनाव प्रचार, मतदान तथा मतगणना संबंधी चुनाव कार्य में सम्मिलित होने वाले कार्मिकों, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों एवं मतदाताओं को कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु गाईडलाईन जारी की गई है। निर्वाचन गतिविधियों में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों से आयोग की अपेक्षा है कि वे केन्द्र/राज्य सरकार तथा आयोग द्वारा जारी की गई गाईडलाईनों की भी पूर्ण रूप से पालना करे।

जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह भी निर्देश प्रदान किए गए हैं कि इन आम चुनाव में चुनाव कार्य/मतदान दलों में नियुक्त किए जाने वाले कार्मिकों को कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी हो। इसके अतिरिक्त मतदान अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ता के रूप में उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्ति किए जाने के निर्देश भी प्रदान किए गए हैं कि जिन्हें कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी हो।

● **आदर्श आचरण संहिता**

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही उक्त जिलों के जिला परिषद एवं पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। आयोग द्वारा राज्य सरकार को आदर्श आचरण संहिता की प्रभावी पालना हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

उक्त चारों जिलों के जिला परिषद एवं पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न विभागों के विकास कार्य जिसके कार्यादेश आचार संहिता के प्रभाव में आने से पूर्व ही जारी किए जा चुके हैं या जो विकास कार्य पूर्व से ही चल रहे हैं, वे सभी आचार संहिता से प्रभावित नहीं होंगे। नई स्कीम,

दिनांक 24/11/2021

24.11.2021

नए विकास कार्य एवं नए कार्यादेशों पर आचार संहिता के लागू होने के बाद पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगा।

चुनाव के लिए बड़ी मात्रा में कार्मिकों/अधिकारियों की आवश्यकता होगी, अतः

1. बारां, करौली, कोटा एवं श्रीगंगानगर में समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
2. उक्त जिलों में चुनाव की घोषणा से पूर्व जारी स्थानान्तरण आदेश, जो संबंधित विभाग की वेबसाईट पर दिनांक 24.11.2021 को सांय 6.00 बजे तक प्रदर्शित (Upload) कर दिए गए हों, की अनुपालना में इन चारों जिलों में स्थानान्तरण पर आने वाले कार्मिकों को दिनांक 29.11.2021 तक रिक्त पद पर कार्यग्रहण करने की अनुमति होगी।
3. उक्त जिलों में मृतक आश्रितों एवं नव चयनित अभ्यर्थियों के रिक्त स्थान पर किए गए पदस्थापन की पालना में कार्यग्रहण करने की अनुमति होगी।
4. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात् इन जिलों से किसी भी कार्मिक को अपने पद से कार्यमुक्त होने की अनुमति नहीं होगी, भले ही उसका स्थानान्तरण चुनाव कार्यक्रम से पूर्व का ही क्यों न हो।
5. सभी विभाग यह भी सुनिश्चित करें कि इन जिलों में आचार संहिता प्रभावी होने की अवधि के दौरान उनके द्वारा कोई भी स्थानान्तरण आदेश भी जारी नहीं किए जाएंगे, किन्तु यदि इन जिलों से किसी कार्मिक का स्थानान्तरण किया जाना अति आवश्यक समझा जाए तो इस हेतु आयोग की पूर्वानुमति ली जाए।
6. उक्त चारों जिलों में चल रहे प्रशासन शहरों एवं गांवों के संग अभियान के अन्तर्गत आयोजित किए जाने वाले कैम्प चुनाव घोषणा की तिथि दिनांक 24.11.2021 के पश्चात आयोजित नहीं होंगे।

समस्त अभ्यर्थी, समस्त राजनैतिक दलों, सभी मतदाताओं, आमजन एवं मीडिया से आयोग अपील करता है कि शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने एवं कोरोना महामारी के सम्बन्ध में केन्द्र/राज्य सरकार एवं आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए स्वयं को सुरक्षित रखने एवं आमजन को सुरक्षा प्रदान करते हुए निर्वाचन सम्पन्न कराने में अपना सहयोग प्रदान करावें।

संलग्नक : 1. परिशिष्ट 'अ' - चुनाव कार्यक्रम।

2. परिशिष्ट 'ब' - चरणवार पंचायत समितियों का विवरण।

क्रमांक: एफ.7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2020/III/ ५११३-२०
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज., जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राज., जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
6. शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
7. निदेशक, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
8. संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)।

आज्ञा से,
चित्रा
(चित्रा गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव
दिनांक: 24.11.21

अशोक कुमार जैन
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2021 - चुनाव कार्यक्रम
(जिला बारां, कोटा, करौली एवं श्रीगंगानगर के
जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद हेतु)

क्र.स.	कार्य का विवरण (तीनों चरणों के लिए)	तिथियां
1	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58 के अन्तर्गत निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने की तिथि	29.11.2021 (सोमवार)
2	नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	02.12.2021 (गुरुवार) प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक
3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय	03.12.2021 (शुक्रवार) प्रातः 11.00 बजे से
4	नाम वापसी की तिथि एवं समय	04.12.2021 (शनिवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5	चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	04.12.2021 (शनिवार) नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्
6	मतदान दलों का प्रस्थान/पहुँच	
	प्रथम चरण के लिए	11.12.2021 (शनिवार)
	द्वितीय चरण के लिए	14.12.2021 (मंगलवार)
	तृतीय चरण के लिए	17.12.2021 (शुक्रवार)
7	मतदान की तिथि	
	प्रथम चरण के लिए	12.12.2021 (रविवार)
	द्वितीय चरण के लिए	15.12.2021 (बुधवार)
	तृतीय चरण के लिए	18.12.2021 (शनिवार)
8.	मतदान का समय	प्रातः 7.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक
9.	मतगणना (जिला मुख्यालय पर)	21.12.2021 (मंगलवार) प्रातः 9.00 बजे से

दिनांक
24/11/2021



**जिला प्रमुख/उप जिला प्रमुख/प्रधान/उप प्रधान हेतु
चुनाव कार्यक्रम**

क्र.स.	कार्य का विवरण		तिथियां
10	प्रमुख/प्रधान का चुनाव		23.12.2021 (गुरुवार)
11	उप प्रमुख/उप प्रधान का चुनाव		24.12.2021 (शुक्रवार)
12	प्रमुख/उपप्रमुख/प्रधान/उपप्रधान के चुनाव की बैठक की समय सारणी		
	1	बैठक का प्रारम्भ	पूर्वाह्न 10.00 बजे
	2	नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतीकरण	पूर्वाह्न 11.00 बजे तक
	3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	पूर्वाह्न 11.30 बजे से
	4	अभ्यर्थिता वापसी	अपराह्न 1.00 बजे तक
	5	चुनाव प्रतीको का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना	अपराह्न 1.00 बजे के तुरन्त बाद
	6	मतदान यदि आवश्यक हुआ तो, उसका समय	अपराह्न 3.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य
	7	मतगणना एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा	सायं 5.00 बजे से या मतदान समाप्ति के तुरंत बाद, जो भी पहले हो

दिना
24/11/2021

STATE ELECTION COMMISSION RAJASTHAN, JAIPUR

SPELL-WISE ZP & PS MEMBER ELECTION PROGRAMME, 2021

SPELL-WISE ZP & PS MEMBER ELECTION PROGRAMME, 2021														
S. No.	District	No. of Const. in Z.P.	Ist Spell				IInd Spell				IIInd Spell			
			Panchayat Samiti	No. of Cont. in P.S.	No. of G.P.	No. of polling booths	Panchayat Samiti	No. of Cont. in P.S.	No. of G.P.	No. of polling booths	Panchayat Samiti	No. of Cont. in P.S.	No. of G.P.	No. of polling booths
1	BARAN	25	ATARU CHHIPABAROD CHHABRA	15 19 15	32 30 27	147 169 102	ANTA BARAN MANGROL	15 15 15	24 26 18	96 99 81	SHAHBAD KISHANGANJ	15 17 39	36 39 185	
			3	49	89	418	3	45	68	276	2	32	75	316
			SAPOTRA MASALPUR MANDARAYAL	25 15 17	34 18 24	134 73 87	KARAUJI HINDAUN SHREEMAHVEERJI	27 31 17	32 39 21	143 154 81	NADOTI TODABHIM	17 33 43	30 43 188	
2	KARAUJI	27												
			3	57	76	294	3	75	92	378	2	50	73	313
			ITAWA SULTANPUR	17 17	30 31	151 143	SANGOD LADPURA KHERABAD	19 15 23	36 22 37	158 102 193				
3	KOTA	23												
			2	34	61	294	3	57	95	453	0	0	0	0
			ANUPGARH GHADSANA SRIVILAYNAGAR	15 17 15	32 36 29	153 167 98	SHRI GANGANAGAR SADULSAHAR KARANPUR	29 19 15	53 27 35	240 109 104	PADAMPUR RAISINGHAGAR SURATGARH	17 19 23	36 47 49	135 175 238
4	SHRI GANGANAGAR	31												
			3	47	97	418	3	63	115	453	3	59	132	548
Grand Total		106	11	187	323	1424	12	240	370	1560	7	141	280	1177

No. Z.P. Consty.

106

Panchayat Samiti

I SPELL	11
II SPELL	12
III SPELL	7
Total	30

P.S.M.Const.

Ist SPELL	187
IInd SPELL	240
IIInd SPELL	141
Total	568

Gram Panchayat

I SPELL	323
II SPELL	370
III SPELL	280
Total	973

Polling Booth

I SPELL	1424
II SPELL	1560
III SPELL	1177
Total	4161

24/11/2021

8